

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
सिकन्दरा, आगरा।

PTW PORTAL

पत्रांक:- 9551/वि०वि०ख०(प्रथम)आ० /

दिनांक:- 09/12/23

कार्यालय ज्ञापन

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम), आगरा के अनुमोदन पर निम्नलिखित व्यक्तियों की उनके नाम के सामने अंकित मात्रा तथा विधाओं के लिये विद्युत प्रभार नीचे लिखी शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है।

| क्र०सं० | नाम व पता | स्वीकृत विद्युत प्रभार | विधा | प्रक्रमण धनराशि | जमा रसीद संख्या व दिनांक |
|---------|---|------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | श्री सुरेश पुत्र श्री गंगा प्रसाद साइट- खसरा नं०- 611, ग्राम मांगरोल गूजर छोटी पार्टी पोस्ट रूनकता, ब्लॉक अछनेरा, तहसील किरावली, आगरा। मो०नं०- 7500595463 | 10 एच०पी० | एल०एम०वी०-5 | 100.00 | P53857662 06.12.2023 |

- यदि उपभोक्ता स्वीकृत समय के अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उपयोग करते पाया गया तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसका कनेक्शन काटा जा सकता है।
- विद्युत शक्ति की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है।
(अ) निजी नलकूप पम्पिंग सेट नहरों से 100 मीटर दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
(ब) यदि उपभोक्ता किसी अन्य कृषक को जिसकी भूमि राजकीय सिंचाई के साधनों के क्षेत्र के अन्दर आती हो, पानी देते हुये पाया जायेगा तो उसका कनेक्शन उसी समय बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
- यदि उक्त उपभोक्ता का कनेक्शन उस जगह पर कभी समाप्त किया जा चुका हो तो उस जगह पर उपभोक्ता को या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कनेक्शन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक पुराने कनेक्शन पर विद्युत खपत की धनराशि जमा नहीं कर देते हैं।
- समय-समय पर निगम के सभी आदेश प्रभावी समझे जायेंगे।
- आवेदक यदि अपनी साइट का निरीक्षण नहीं करवाता है अथवा टी०सी० निर्गत होने के दिनांक से तीन माह के अन्दर नियम एवं शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराकर अनुबन्ध नहीं करता है तो आगे की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
- आवेदक को कनेक्शन देने में विलम्ब की कार्यवाही पर क्षतिपूर्ति का दावा अमान्य होगा।
- आवेदक को आवेदन दिनांक से 6 माह के अन्दर यदि कोई टी०सी० या नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो वह स्वयं अद्योहस्ताक्षरकर्ता से लिखित रूप में प्रार्थना-पत्र सहित मिलें।
- विभाग/शासन द्वारा नलकूप कनेक्शन देने के प्रतिबन्ध पर जारी सभी नियम समय-समय पर लागू रहेंगे।
- उपभोक्ता की जमीन पर किसी भी वाद-विवाद के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- उपरोक्त स्वीकृति उपभोक्ता की स्वेच्छा पर है कनेक्शन देने न देने का पूर्ण अधिकार निगम को सुरक्षित है।
- किसी भी विवादित स्थल पर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। विभाग का अधिकार सुरक्षित है।
- आवेदक को संयोजन स्थल का निरीक्षण करवाना होगा।

पत्रांक:- 9551/वि०वि०ख०(प्रथम)आ० /

अधिशासी अभियन्ता
दिनांक:- 09/12/23

- प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड-प्रथम, सिकन्दरा, आगरा को सूचनार्थ एवं आवेदक का प्रांकलन शीघ्र इस कार्यालय को भेजने के लिये प्रेषित।
- प्रतिलिपि विकास खण्ड अधिकारी अछनेरा जिला आगरा।
- प्रतिलिपि आवेदक को इस आशय से कि वह सम्बन्धित क्षेत्रीय विद्युत उपसंस्थान के अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर एक माह के अन्दर साइट का निरीक्षण करवायें अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर आगे की कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता